उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर (छ.ग.)

डिवीजन बैंच

दाण्डिक अपील क्र.2521/ 1997

मन्नू उर्फ महेन्द्र सोनी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

एवं

दाण्डिक अपील क्र. 584/1998

मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

मन्नू उर्फ महेन्द्र सोनी

निर्णय विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

09.02.2006

माननीय न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा -

सही

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

10.02.2006

निर्णय दिनांक 10 फरवरी 2006 के लिए नियत-

सही

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

10.02.2006

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

युगलपीठ

माननीय श्री एल.सी. भादू एवं

माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीशगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 2521/1997

मन्नू उर्फ महेन्द्र सोनी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

एवं

दाण्डिक अपील क्र. 584/1998

मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

मन्नू उर्फ महेन्द्र सोनी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित

श्री अवध त्रिपाठी अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से दाण्डिक अपील क्रमांक 2521/97 में

श्री यू.एन.एस. देव अतिरिक्त लोक अभियोजक
साथ में श्री अखिल मिश्रा पैनल अभिभाषक — राज्य/अपीलार्थी की ओर से दाण्डिक अपील क्रमांक 584/98 में

श्री यू.एन.एस. देव अतिरिक्त लोक अभियोजक
साथ में श्री अखिल मिश्रा पैनल अभिभाषक
श्री अवध त्रिपाठी अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

(दिनांक 10 फरवरी 2006 को घोषित)

श्री एल.सी. भादू न्यायाधीश द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय प्रदत्त किया गया ।

1. यह दांडिक अपील क्र. 2521 सन् 1997 में अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा माननीय सत्र न्यायाधीश कोरबा के सत्र प्रकरण क्र. 171/96 में पारित आदेश दिनांक 17.09.1997 में पारित दोषसिद्धि तथा दण्डादेश की वैद्यता एवं सटीकता को प्रश्नगत किया है। जिसमें माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 363, 366 क, 376,302 एवं 201 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध में दोष सिद्ध करते हुए उसे धारा 363 भा.दं.सं. के अंतर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/-रु. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि का भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 366-क भा.दं.सं. के अंतर्गत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/-रु. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 376 भा.दं.सं. के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/-रु. अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत अजीवन कारावास तथा धारा 201 भा.दं.सं. के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/-रु. अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। राज्य शासन की ओर से भी अभियुक्त को दिये गये आरोपित अपराध में अपर्याप्त दण्ड होने से उसमें वृद्धि किये जाने हेतु धारा 377 दं.प्र.संहिता के अंतर्गत दाण्डिक अपील क्र. 584/98 प्रस्तुत कर अभियुक्त/अपीलार्थी को मृत्यु दण्ड से दण्डित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। दोनों अपीले एक ही अपराध एवं एक ही निर्णय से उत्पन्न होने के कारण दोनों अपीलों को एक साथ निराकृत किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26 जनवरी 1996 की संध्या को अव्यस्क उत्तरा कुमारी आयु लगभग 8 वर्ष, घर के निकट बच्चों के साथ खेल रही थी तथा रात्रि के भोजन के समय लगभग 7 बजे तक वह अपने घर नहीं लौटी तब उत्तरा कुमारी के पिता ने उसकी खोजबीन शुरू की और जब उसका कोई पता नहीं चला तब उत्तरा कुमारी के पिता ने दिनांक 27 जनवरी 1996 की प्रातः 7:45 बजे पुलिस चौकी रजगामार में गुमशुदगी की प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध करायी कि 26 जनवरी 1996 को उसकी पुत्री उत्तरा कुमारी आयु 8 वर्ष अतिश कुमार चौहान आयु लगभग 8 वर्ष तथा संपा बाई पटेल आयु लगभग 7 वर्ष के साथ घर के निकट खेल रही थी कुछ समय पश्चात बच्चे अपने-अपने घर चले गये और उत्तरा कुमारी महुआ के झाड़ी के पास अकेली खड़ी थी, वह चलचित्र देखने के पश्चात लगभग 7 बजे घर आया तथा उत्तरा कुमारी

खाने के समय घर पर नहीं होने से वह उसकी आसपास खोजबीन किया किन्तु उसका कोई पता नहीं चलने पर गुमशुदगी की प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्र. 1/96 रोजनामचा सान्हा में पंजीबद्ध की गई। उत्तरा कुमारी के पिता ननकी द्वारा पुनःदिनांक 27.01.1996 को गुमशुदगी की प्रथम सूचना प्रतिवेदन पुलिस चौकी रजगामार में पंजीबद्ध कराई जो प्र.पी./3 है। पुलिस एवं ग्रामीणों द्वारा उत्तरा कुमारीकी खोजबीन प्रारंभ कीगई।

3. अभियुक्त मन्नु उर्फ महेन्द्र सोनी अपराध क्र. 0/96 अंतर्गत धारा 457 एवं 380 भा.दं.सं. में संलिप्त होने के कारण उसे अभिरक्षा में लेकर 29 एवं 30 जनवरी 1996 की मध्य रात्रि आरक्षी केन्द्र लाया गया। उससे प्रातः 9 बजे पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपने मेमोरेंडम कथन प्र.पी./15 में यह कथन किया कि 26 जनवरी 1996 की संध्या को वह उत्तरा कुमारी को लेकर एक दुकान में गया था एवं उसने बिस्कुट खरीदकर उत्तरा कुमारी को देने के पश्चात उसे परेबादरहा नाले के पास ले गया तथा उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के पश्चात इस भय से कि वह घटना की जानकारी किसी को दे देगी, इस कारण उसकी गला दबाकर हत्या कर उत्तरा कुमारी के शव एवं उसकी हरे रंग की शाल को परेबा नाले में फेंक दिया। मैं शव तथा शाल को बरामद करवा देता हूं। उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर लगभग अपरान्ह 11 बजे पंचों को सूचना प्र.पी./13 देने के उपरांत पंचों की उपस्थिति में साक्षी दिलीप कुमार पटेल एवं राधे श्याम के समक्ष नाले से उत्तरा कुमारी की शाल बरामद की गई जिसका बरामदगी पंचनामा प्र.-पी./16 है। पंचों की उपस्थिति में उत्तरा कुमारी के शव को प्रातः 9.45 बजे चिन्हित किया गया। जिसका पंचनामा प्र.-पी./12 है तथा बरामदगी पंचनामा प्र.पी./14 साक्षियो के समक्ष प्रातः 10.45 बजे तैयार किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दिनांक 30 जनवरी 1996 को लगभग 14:30 बजे पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त ने अपने मेमोरेंडम कथन प्र.पी./17 में यह कथन किया है कि घटना के समय वह सफेद पैंट व प्रिंटेड शर्ट पहना था, अभियुक्त् ने प्रकटीकरण किया कि वह उन वस्तुओं की बरामदगी करवा सकता है। उसके मेमोरेंडम कथन के आधार पर अभियुक्त के निवास स्थान से पेंट तथा शर्ट प्रदर्श पी./18 के द्वारा बरामद किये गये, चूंकि शर्ट के कुछ बटन गायब थे, अतः अभियुक्त की निशानदेही पर नाले के तट से एक लाल रंग का बटन का धागे के साथ प्रदर्श जी./19 के द्वारा
बरामद किया गया। अभियुक्त के नाखून भी प्र.पी./20 के अनुसार जप्त किये गये। मृतका के

जननांग भाग से एक स्लाईड एवं मृतका के शरीर पर पाये गये कपड़े प्र.पी./21 के अनुसार जप्त किये गये। घटना स्थल का नक्शा प्र.पी./22 तैयार किया गया। मृतका के शव का छायाचित्र लिये जाने के पश्चात् शव को शव परीक्षण हेतु शासकीय 100 बिस्तर चिकित्सालय कोरबा को भेजा गया एवं मृतका उत्तरा कुमारी का शव परीक्षण चिकित्सक आर.के.दिव्या द्वारा किया गया। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी./43 है। चिकित्सक के मतानुसार मृतका की मृत्यु का कारण गला घोटने एवं श्वास अवरूद्ध होने से हुई थी, नाक की अस्थि भंग होना एवं निचले होंट के दाहिने भाग में फटा घाव, जो मृत्यु के पूर्व का था, मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। घटना स्थल का नक्शा पटवारी श्री बाबूलाल मैत्री द्वारा तैयार करवाया गया था जो प्र.पी./11 है।

5. मर्ग सूचना प्र.पी./32 आरक्षी केन्द्र बालको को दी गई उक्त मर्ग सूचना के आधार पर दिनांक 30 जनवरी 1996 को प्रथम सूचना पत्र प्र.पी./31 पंजीबद्ध की गई तथा एक अन्य मर्ग सूचना प्र.पी./10 के आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी./9 बिना नंबरी पंजीबद्ध की गई थी। जप्तशुदा वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजा गया, जहां से परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी./38, प्र.पी./39,प्र.पी./40 प्राप्त हुई। दिनांक 31 जनवरी 1996 को चिकित्सक आर.के.दिव्या द्वारा अभियुक्त के शरीर पर आई हुई चोटों का परीक्षण किया। परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी./44 तैयार की गई विवेचना पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायिक दण्डाधिकारी कोरबा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय बिलासपुर को उपार्पित किया गया। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिलासपुर ने यह प्रकरण अंतरण में प्राप्त किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क श्रवण करने एवं अभिलेख तथा दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात् अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 366 क, 376, 302 एवं 201 भा.दं.संहिता के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराधकारित होना प्रतीत पाया इस कारण अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आरोप विरचित कर अभियुक्त को आरोपित आरोपों को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार किया।

7. अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए 15 साक्षियो का परीक्षण कराया है। अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.संहिता के अंतर्गत कथन दर्ज किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन साक्षियो के कथन एवं उसके विरूद्ध उत्पन्न परिस्थितियों को अस्वीकार करते हुए स्वयं को निर्दोष होने का कथन किया है। अभियुक्त ने अपने बचाव में कल्याण सिंह

ठाकुर बचाव साक्षी क्र. 1 एवं कमल प्रसाद बंजारे बचाव साक्षी क्र. 2 का कथन कराया है। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अतिरिक्त लोक अभियोजक तथा अभियुक्त के अभिभाषक के तर्क श्रवण करने के पश्चात अभियुक्त को इस निर्णय के कंडिका 1 में वर्णित दण्ड से दंडित किया।

8. पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क श्रवण कियेs गये।

9. उत्तरा कुमारी के मानव वध में कोई विवाद नहीं है।

10. जहां तक अभियुक्त/अपीलकर्ता का इस प्रकरण में संलिप्तता का प्रश्न है इस प्रकरण में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियोजन का संपूर्ण प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। यह स्थापित विधि है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में जिस परिस्थितियों में दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है उन्हें न केवल पूर्ण रूप से स्थापित किया जाना चाहिए वरन~वे सभी परिस्थितियां इतनी निर्णायक परिस्थिति की हो और केवल अभियुक्त के दोष के अनुरूप हो। वे परिस्थितियां किसी अन्य सिद्धांत से स्पष्टीकृत नहीं होना चाहिए अभियुक्त के दोष एवं साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होना चाहिए कि अभियुक्त के निर:पराधता के प्रति कोई भी उचित शंका शेष न रह जाये। स्थापित परिस्थितियों का अर्थ वैधानिक रूप से स्थापित परिस्थितियां होती है, केवल न्यायालय की असंतुष्टता या अक्रोश को दोष सिद्धि का आधार नहीं माना जा सकता। अपराध जितना गंभीर हो उतना अधिक सावधानीपूर्वक साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाना चाहिए, किन्तु संदेह प्रमाण का स्थान न ले सके। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 363, 366 क, 376, 302 एवं 201 भा.दं.संहिता परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्ध कर कंडिका-1 में दर्शित विभिन्न दण्ड से दंडित किया है। राज्य शासन द्वारा दाण्डिक अपील धारा 377 दं.प्र.संहिता को इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दिया गया दण्ड अपर्याप्त है। उपरोक्त उल्लेखित सिद्धांतों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सावधानीपूर्वक परीक्षण कर अभियुक्त को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अभियुक्त को संबंधित अपराध में संलिप्त होने के लिए अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध निम्नलिखित परिस्थितियां स्थापित करने का प्रयास किया है:-

(i) अभियुक्त को उत्तरा कुमारी के जीवित अवस्था में अंतिम बार उसके साथ देखा गया था।

(ii) उत्तरा कुमारी का शव व शाल साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अभियुक्त की निशानदेही पर जप्त किये गये थे।

(iii) अभियुक्त की निशानदेही पर उसकी पैंट, शर्ट और शर्ट का गायब बटन अभियुक्त से जप्त किया गया था - एवं

(iv) अभियुक्त के नाखून पर पाये गये रक्त एवं मृतका के जननांग भाग से ली गई स्लाईड पर मानव वीर्य पाया गया।

12. अब हम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य की जांच एवं परीक्षण करेंगे की क्या अभियोजन उपरोक्त् उल्लिखित परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त् के विरूद्ध अपराध को स्थापित करने में सफल रहा है, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध करने के लिए उपरोक्त् वर्णित प्रमुख प्रावधानों को ध्यान में रखना अवाश्यक है।

(i) अंतिम समय जीवित देखा जाना - इस परिस्थिति को सिद्ध करने के लिए अभियोजन द्वारा दो साक्षियो आतिश कुमार आयु लगभग 7 वर्ष अभियोजन साक्षी क्र. 7 एवं रामगोपाल अभियोजन साक्षी क्र. 8 का परीक्षण कराया है। अभियुक्त को अंतिम समय मृतका के साथ देखें जाने के आधार पर दोष सिद्ध करने के संबंध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोधराज उर्फ बोधा एवं अन्य विरूद्ध जम्मू और कश्मीर राज्य (2002) 8 एससीसी 45** में यह माना है कि

> "अंतिम समय देखें जाने और मृतक के मृत पाए जाने के अंतराल का समय इतना कम हो कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध को कारित करने की संभावना न हो। न्यायालय ने आगे यह माना है कि ऐसे प्रकरणों में जहां अभियुक्त और मृतक को अंतिम समय एक साथ देखें जाने के अतिरिक्त कोई अन्य सकारात्मक साक्ष्य नहीं है, केवल इसी आधार पर दोष सिद्धि पर पहुंचना असंभव होगा।

सुभाष चंद बनाम राजस्थान राज्य (2002) 1 उच्चत्तम न्यायालय 702 में माननीय न्यायालय ने यह माना कि

> "अंतिम समय एक साथ देखें जाने का साक्ष्य सिद्ध करने के लिए, पीड़ित एवं अभियुक्त को अपराध की तिथि और समय के निकट देखा जाना स्पष्ट रूप से साक्ष्य अनुमति देता है।"

कर्नाटक राज्य विरूद्ध एम.वी. महेश (2003) 3 उच्चत्तम न्यायालय 353 के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> "सिर्फ अंतिम समय एक साथ देखा जाना पर्याप्त नहीं है। ऐसे प्रकरणों में यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध हो जिससे यह संकेत मिले कि बिना की हत्या कर दी गई थी जिसकी जानकारी प्रत्यार्थी को थी या होनी चाहिए थी।"

उपरोक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के परिप्रेक्ष्य में जब किसी अभियुक्त को अंतिम समय एक साथ देखें जाने के आधार पर दोष सिद्ध किया जाना हो तब न्यायालय को विधिक रूप से पर्याप्त साक्ष्य से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिस समय मृतका को अभियुक्त के साथ अंतिम समय जीवित देखा गया एवं मृतका के मृत्यु के मध्य समय का अंतराल इतना संनिकट हो कि अभियुक्त के दोष के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सके। मृतका को अंतिम समय देखें जाने और उसकी मृत्यु के मध्य किसी तीसरे व्यक्ति के आने की कोई संभावना न हो। ऐसे स्पष्ट एवं निर्णायक विधिक साक्ष्य होनी चाहिए जो अभियुक्त को हत्या में उसके संलिप्तता को दर्शाता हो। केवल अंतिम समय देखें जाने के सिद्धांत के आधार पर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करना सुरक्षित नहीं है। जब तक अंतिम समय देखें जाने की घटना अन्य परिस्थितियों के साथ मिलकर यह दर्शित करें कि अभियुक्त ही अपराध का कर्ता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में निर्धारित स्थापित विधि के आधार पर यदि हम अभियोजन साक्षी क्र. 7 आतिश कुमार और अभियोजन साक्षी क्र. 8 राम गोपाल के कथनों का परीक्षण करें तब रामगोपाल अभियोजन साक्षी क्र 8 ही वह व्यक्ति है जिसकी दुकान पर उस दिन अभियुक्त मृतका उत्तरा कुमारी एवं अतिश कुमार को बिस्कुट दिलाने के लिए गया था और उसकी दुकान से बिस्कुट खरीदे थे। उसने यह भी कथन किया है कि 26 जनवरी 1996 को लगभग संध्या 7 बजे अभियुक्त मन्नू उर्फ महेन्द्र दो तीन लड़कों के साथ आकर उसकी दुकान से बिस्कुट खरीदे थे, जिनमें से एक अतिश कुमार जिसे वह जानता था, अभियुक्त के साथ कोई लड़की थी या नहीं वह नहीं जानता क्योंकि अंधेरा होने के कारण वह नहीं देख सका। चूंकि लड़का उसके सामने आ गया था इसलिए व उसे पहचाना था। अभियुक्त ने 2.50 रू. का एक पैकेट बिस्कुट खरीदा और चला गया। 27 जनवरी 1996 को उसे ननकी की पुत्री की मृत्यु के संबंध में जानकारी हुई। उपरोक्त साक्ष्य से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि जब अभियुक्त राम गोपाल की दुकान में बिस्कुट खरीदने गया था तब मृतका उत्तरा कुमारी उसके साथ थी, रामगोपाल अभियोजन साक्षी क्र. 8 के साक्ष्य के अनुसार उत्तरा कुमारी को अंतिम समय अभियुक्त के साथ जीवित अवस्था में देखा गया था अभियोजन पक्ष को उपरोक्त परिस्थितियों को प्रमाणित करने में कोई सहायता या सहयोग नहीं मिलता है।

14. अभियोजन साक्षी क्र. 1 ननकी जो मृतका का पिता है उसने अपने साक्ष्य की कंडिका 11 में कथन किया है कि 26 जनवरी 1996 को पास के एक दुकान के दुकानदार ने उसे बताया कि तुम्हारी पुत्री एवं तीन-चार अन्य बच्चे खेल रहे थे । आरोपी मन्नू उससे बिस्कुट खरीदने के पश्चात उसकी दुकान के सामने बच्चों को बिस्कुट बांट रहा था । मन्नू कहां गया वह नहीं जानता। पुलिस वालों ने भी उस दुकानदार से पूछताछ की थी, ननकी द्वारा 27 जनवरी 1996 की प्रातः काल ही प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध कराई थी जो प्र.-पी./2 है, उसमें यह तथ्य उल्लेखित नहीं किया गया है जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि मृतका को जीवित अवस्था में अभियुक्त के साथ अंतिम समय देखा गया था।

15. अभियोजन साक्षी क्र. 7 अतिश कुमार आयु लगभग 7 वर्ष ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि विगत वर्ष वह कक्षा 1 में अध्ययनरत था। जनवरी महिने में वह अपने निवास स्थान पर धर्मीन उर्फ उत्तरा कुमारी के साथ खेल रहा था और वहां कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। उसी समय आरोपी मन्नू आया, उसे और धर्मीन उर्फ उत्तरा कुमारी को एक दुकान में ले गया जहां उसने बिस्कुट खरीदकर 5 बिस्कुट उसे एवं 6 बिस्कुट धर्मीन उर्फ उत्तरा कुमारी को दिये। उसके बाद वह अपने घर चला गया। वह धर्मीन उर्फ उत्तरा कुमारी से फिर नहीं मिला, धर्मीन उर्फ उत्तरा कुमारी कहा गई उसे नहीं मालूम, उसे यह भी नहीं मालूम कि आरोपी मन्नू कहां गया। उसने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि जिस रात्रि घटना घटित हुई उस समय ननकी उसके निवास पर उत्तरा कुमारी को पूछने नहीं आया था कि उत्तरा कुमारी कहां है हालांकि दूसरे दिन प्रातः दिलीप तथा तीन-चार व्यक्ति ननकी के साथ आये थे । उनके पूछने पर उसने उन्हें बताया कि जब वह घर जा रहा था उस समय धर्मीन उर्फ उत्तरा कुमारी महुआ के झाड़ी के किनारे खड़ी थी, यही कथन उसने पुलिस को भी बताया था। यह सत्य है कि दिलीप ने उससे बिस्कुट वाली कहानी को कहा था। यह भी सत्य है कि उसके बताने पर उसने पुलिस को कथन दिया था, यह सत्य है कि उसके पिता और दिलीप आपस में मित्र है। इस संदर्भ में बाल साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या देखना प्रासंगिक है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अरविंद सिंह बनाम बिहार राज्य 1995 (4) के प्रकरण में उच्चत्तम न्यायालय 416 में दिया गया निर्णय है कि**

> "बाल साक्षी को पढ़ाया-समझाया जा सकता है और इसलिए न्यायालय को विशेषकर पुष्टि का अन्वेषण करना चाहिए जब साक्षी को पढ़ाये, पढ़ाने के संकेत मिलते हों''

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियोजन साक्षी क्र. 2 पूनम कुमारी उक्त प्रकरण में जो मृतका और अपीलार्थी की पुत्री जो अव्यस्क साक्षी थी, एवं न्यायालय ने उसके साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि अव्यस्क साक्षी के कथन में सुधार किये गये थे, क्योंकि अपने पहले कथन में उसने यह कथन नहीं किया था कि उसकी मां को फांसी दी गई थी। बाद में उसने कथन किया कि उसकी मां को बिजली के तार से फांसी दी गई थी, फिर उसने कथन किया कि उसे पटसन की रस्सी से फांसी दी गई थी, धारा 164 दं.प्र.संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में उसने कथन किया कि उसके पिता ने उसकी मां की गर्दन में पटसन की रस्सी डाली और उसे मार डाला, इसलिए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अव्यस्क साक्षी अपने कथन में स्थिर नहीं थी और कुछ बातों में उसे पढ़ाया गया था। इसलिए न्यायालय ने यह माना कि उसकी साक्ष्य पर पूर्ण विश्वास और निर्भरता नहीं रखी जा सकती, क्योंकि उसकी साक्ष्य की पुष्टि स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य से नहीं हुई थी। अव्यस्क साक्षी को पढ़ाया-समझाया जा सकता है इसलिए न्यायालय को विशेष रूप से अन्वेषण कर पुष्टि की जानी चाहिए जब साक्ष्य में पढ़ाने के संकेत मिलते हो। एक अन्य निर्णय **पंछी एवं अन्य विरूद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में ए.आई.आर. 1998 सर्वोच्च न्यायालय 2726 में** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "यह नहीं कहा जा सकता कि किसी अव्यस्क साक्षी का साक्ष्य अविश्वसनीय मानी जायेगी। यह विधि नहीं है कि यदि कोई अव्यस्क साक्षी है तब उसकी साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जायेगा भले ही वह विश्वसनीय पाया जाये'' विधि यह है कि अव्यस्क साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन अधिक सर्तकता एवं सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि बालक दूसरों द्वारा कही गई बातों से प्रभावित हो सकता है और इस प्रकार एक अव्यस्क साक्षी को पढ़ाया एवं समझाया जाना आसान होता है।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य निर्णय सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य 2001 (1) अपराध 99 (सर्वोच्च न्यायालय) यह माना है कि

> "किसी अव्यस्क के साक्ष्य को अपने आप में अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परन्तु न्यायालय को सावधानी एवं विधि के अनुरूप में ऐसी साक्ष्य के सूक्ष्मता से विश्लेषण करना होता हैA केवल साक्ष्य की गुणवत्ता एवं उसकी विश्वसनीयता से न्यायालय संतुष्ट होने पर

> ही अव्यस्क साक्षी के साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है। अव्यस्क के साक्ष्य को केवल इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि वह किशोर है। अव्यस्क साक्षी के साक्ष्य के लिए न्यायालय उस साक्ष्य को सावधानीपूर्वक विश्लेषण को दृष्टिगत रखना आवश्यक होता है जब यह सिद्ध हो जाये कि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है और उसकी साक्ष्य में कोई त्रुटि नहीं है, यद्यपि अभियोजन पक्ष केवल उसी साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि का दावा सही रूप से कर सकता है। अव्यस्क साक्षी की साक्ष्य की पुष्टि काकोई नियम नहीं है यह केवल सावधानी और विवेक का एक उपाय है अव्यस्क साक्षी के कथन में कुछ विसंगतियों को उसकी पूर्ण साक्ष्य को निरस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, किसी अव्यस्क साक्षी के कथन पर विश्वास करने से पहले न्यायालय उसके कथन को बहुत सावधानीपूर्वक और सर्तकता के साथ परीक्षण करना होता है क्योंकि बालक को पढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर अतीश कुमार अभियोजन साक्षी क्र.7 की साक्ष्य के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रारंभ में इस साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि आरोपी ने बिस्कुट देने के पश्चात धर्मीन उर्फ उत्तरा कुमारी को अपने साथ ले गया इसके विपरीत इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह अपने निवास चला गया और धर्मीन उर्फ उत्तरा कुमारी महुआ के झाड़ी के नीचे खड़ी थी। उसने यह कथन नहीं किया है कि आरोपी भी वहां खड़ा था, इसके अतिरिक्त अपनी साक्ष्य की कंडिका 6 में यह कथन किया है कि दिलीप ने उससे जो भी पूछा वह सब उसने पुलिस को बता दिया । ननकी जो मृतका का पिता है उसने 27 जनवरी 1996 की प्रातः पुलिस चोकी रजगामार में गुमशुदगी की प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.-पी./2 पंजीबद्ध कराई और उस सूचना में ननकी ने यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 26 जनवरी 1996 को उत्तरा कुमारी इस साक्षी अर्थात् अतिश कुमार आयु लगभग 7 वर्ष एक अन्य लड़की सम्पा बाई पटेल अपने निवास स्थान के पास खेल रहे थे, कुछ समय पश्चात बच्चे अपने-अपने घर चले गये और उत्तरा कुमारी झाड़ी के पास अकेली खड़ी रह गई। ननकी की प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.-पी. (2) में यह तथ्य उल्लेखित है कि घटना वाले दिन उत्तरा कुमारी अतिश कुमार अभियोजन साक्षी क्र. 7 के साथ खेल रही थी फिर वे अपने घर चले गये उसके बाद वह अकेली झाड़ी के नीचे खड़ी देखी गई तथा अतिश कुमार अभियोजन साक्षी क्र. 7 से पूछताछ की गई। आरोपी ने राम गोपाल अभियोजन

साक्षी क्र. 8 की दुकान से बिस्कुट खरीदे और वही बिस्कुट उत्तरा कुमारी तथा अतिश कुमार अभियोजन साक्षी क्र. 7 को दिये इस प्रथम सूचना प्रतिवेदन में क्यों नहीं लिखी गई। अतिश कुमार अभियोजन साक्षी क्र. 7 के कथन में यह तथ्य कि साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है कि विशेष रूप से उसकी साक्ष्य के कंडिका क्र. 6 और 7 के संदर्भ में जिसमें उसने कहा है कि उसने दिलीप को बिस्कुट वाली बात बतायी थी, उसने जो भी कथन पुलिस को दिया है वह दिलीप के कहने पर दिया है। अपनी साक्ष्य के कंडिका क्र.5 में उसने यह भी कथन किया है कि दिलीप, ननकी और तीन-चार अन्य लोग दूसरे दिन प्रातः उसकेs घर पर आये थे। यदि इस साक्षी ने आरोपी को बिस्कुट देते देखा था तब ननकी ने इस साक्षी से मिलने के उपरांत यह बात प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.-पी./2) में क्यों नहीं लिखाई है। यह तथ्य अतिश कुमार अभियोजन साक्षी 7 की साक्ष्य की सत्यता के संबंध में एक उचित संदेह उत्पन्न करता है, इस रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि उत्तरा कुमारी झाड़ी के नीचे खड़ी थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन में यह उल्लेख नहीं है कि अभियुक्त भी झाड़ी के पास खड़ा था या किसी ने उसे उत्तरा कुमारी को अपने साथ ले जाते हुए देखा। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर यदि अतिश कुमार अभियोजन साक्षी क्र. 7 की साक्ष्य का परीक्षण करें, जो एक अव्यस्क साक्षी है तब भी यह साक्षी न्यायालय का विश्वास अर्जित नहीं करता। उपरोक्त विवेचना को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष इस परिस्थिति को स्थापित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त का अपराध से संलिप्तता सिद्ध हो सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. जहां तक दूसरी परिस्थितियों का संबंध है आर.एन.पाण्डे, अभियोजन साक्षी क्र. 14 अन्वेषण अधिकारी के द्वारा प्रथम सूचना पत्र प्र.पी./31 पंजीबद्ध की गई थी, उसमें यह उल्लेख है कि सूचना 30 जनवरी 1996 को 03:00 बजे दी गई थी, अर्थात 29 और 30 जनवरी 1996 की मध्य रात्रि में इस सूचना में यह उल्लेखित है कि संदिग्ध मन्नू से पूछताछ करने पर लापता उत्तरा कुमारी का शव बरामद हुआ था जबकि मेमोरेंडम कथन प्र.पी./15 में स्पष्ट है कि अभियुक्त को अभिरक्षा में लिये जाने का समय 29.01.1995 को 23:10 बजे उल्लेख किया गया है और उसमें तिथि और समय में अधिलेखन की गई है और यह उल्लेखित है कि सूचना 30 जनवरी 1996 को प्रातः 9 बजे दी गई। मेमोरेंडम कथन के अनुसार दिनांक 30 जनवरी 1996 को अभियुक्त द्वारा सूचना प्र.पी./15 9 बजे दी गई परन्तु प्रथम सूचना पत्र प्र.-पी./31 में जो दिनांक 29 जनवरी 1996 की मध्य रात्रि 0:30 बजे पंजीबद्ध हुई उसमें शव की बरामदगी का कथन अभियुक्त के

कथन पर कैसे उल्लेख किया गया ? अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई त्रुटियों में संदेह उत्पन्न होता है इसी प्रकार आर.एन.पांडे अभियोजन साक्षी प्र.-पी./14 ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि प्र.पी./15 की अंतिम पंक्ति अन्य स्याही से इस कारण लिखी गईZ क्योंकि कलम की स्याही सुख गई थी तथा अंतिम पंक्ति में यह है कि ''मैं शव को दिखा सकता हूं और बरामद करवा सकता हूं'' यह सब प्रथम सूचना पत्रप्र.पी./15 में ई. से ई भाग बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है। यदि मेमोरेंडम कथन प्र.पी/15से स्पष्ट है कि यह बाल पाईंट कलम से लिखा गया है इसलिए स्याही सूखने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है और अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण एक असत्य स्पष्टीकरण है जैसा की उपर उल्लेख किया गया है कि दिनांक के संबंध में एफ से एफ भाग में अधिलेखन की गई है। पहले कुछ अन्य तिथि लिखी गई थी उसे अधिलेखन कर 29 जनवरी 1996 लिखा गया है, जबकि गिरफ्तारी पंचनामा प्र.डी./3 से यह स्पष्ट है कि गिरफ्तारी 30 जनवरी 1996 की रात्रि 21:00 बजे की गई थी। जबकि मेमोरेंडम कथन प्र.पी./15 अभिरक्षा में लिये जाने का समय 29.01.1996 की रात्रि 23.10 बजे लिखा गया है उपरोक्त विसंगतियों के प्रकाश में यदि दिलीप कुमार पटेल अभियोजन साक्षी क्र. 8 के साक्ष्य का अवलोकन करने पर जिसकी उपस्थिति में शव और अन्य वस्तुएं बरामद की गई थी। अभियुक्त द्वारा प्र.पी./15 में दिये जाने की बात कही गई है, उसके साक्ष्य की कंडिका क्र. 6 में उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने अभियुक्त को घटना की रात लगभग 1 बजे पकड़ा उसे फुसलाकर पुलिस चोकी ले गया और पुलिस अभिरक्षा में मैंने उससे कहा ''तू सही बात बता मैं तुझे बचा लूंगा'' मेमोरेंडम कथन प्र.पी./15 में अभियुक्त ने यह कथन किया कि उसने दुकान से बिस्कुट लिये वे बिस्कुट उत्तरा कुमारी को दिये, फिर उसे शांति नगर घटना स्थल महुआ गांव ले गया, उससे बलात्कार करने के पश्चात् उसकी हत्या कर दी और उसे नाले में फेंक दिया अभियुक्त ने यह भी कथन किया कि पिछले तीन दिनों से वह शव को खोज रहा था, चूंकि शव नहीं मिला था इसलिए वह भागा नहीं, अपने मेमोरेंडम कथन में यह भी कथन किया कि 15-20 लोग मृतका के शव और शाल को खोज रहे थे। इस साक्षी के उपरोक्त् साक्ष्य के आलोक में यदि हम पूरे प्रकरणों के तथ्यों का अवलोकन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त को घटना वाले दिन अभिरक्षा में ले लिया गया था तथा शव बरामद कर संपूर्ण कागजात तैयार किया गया। अभियोजन साक्षी दिलीप को पक्ष विरोधी घोषित नहीं किया गया है और कई स्थानों पर उसने पलटी मारी, अपने कथन के कंडिका 2 में उसने यह कथन किया है कि यह कहना गलत है कि अभियुक्त को घटना की रात 1 बजे पकड़ा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया था, उसने जो कुछ अपने साक्ष्य के कंडिका 6 में कथन किया है वह गलत है अपने साक्ष्य के कंडिका 13 में यह कथन किया है कि उसी रात उत्तरा कुमारी के पिता ने उसे बताया कि उत्तरा कुमारी एक लड़के अतिश कुमार और एक या दो लड़कियों के साथ खेल रही थी यह कथन उसने पुलिस को दिया था। जब ननकी को यह बात पहले से पता थी तब उसने अभियुक्त से यह क्यों नहीं पूछा कि उसने अतिश कुमार व अन्य बच्चों को बिस्कुट क्यों दिया यह बात ननकी और इस साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करती है। दिलीप अभियोजन साक्षी क्र. 6 की साक्ष्य न्यायालय का विश्वास अर्जित नहीं करती, विशेष रूप से अभियुक्त द्वारा दिया गया मेमोरेंडम कथन प्र.-पी./15 और उसके आधार पर शव व शाल की बरामदगी के संबंध में है। इसी प्रकार पूर्व में बताये गये दस्तावेजों से संबंधित प्रथम सूचना पत्र प्र.-पी/31, मेमोरेंडम कथन प्र.-पी./15 एवं पंचनामा प्र.-पी./12, राधे श्याम अभियोजन साक्षी 11 अन्वेषण अधिकारी रमेश पांडे अभियोजन साक्षी 14 की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। राधे श्याम अभियोजन साक्षी 11 ने कथन किया है कि दिनांक 26.01.1996 को समस्त दस्तावेजों को उसने आरक्षी केन्द्र में हस्ताक्षर किये थे।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17. जहां तक अभियुक्त के कथन पर पैंट और शर्ट की बरामदगी का प्रश्न है दिलीप कुमार पटेल अभियोजन साक्षी क्र. 6 ने अपने कथन के कंडिका 30 में यह कथन किया है कि जब अभियुक्त की पैंट और शर्ट बरामद की जा रही थी, उस समय अभियुक्त पुलिस के साथ नहीं गया था केवल एक प्रधान आरक्षक और अभियुक्त का पिता घर गये थे जहां से अभियुक्त के पिता कपड़े लेकर आये और उसके कब्जे में लिया गया। इसलिए अभियुक्त के कथन पर पैंट और शर्ट की बरामदगी असत्य सिद्ध होती है जहां तक घटना स्थल से बटन बरामदगी का प्रश्न है राधे श्याम अभियोजन साक्षी 11 ने अपने कथन के कंडिका 8 में कथन किया है कि बटन को रामचरण ने घटना स्थल पर नदी की रेत में खोजा था किन्तु राम चरण की साक्ष्य नहीं कराया गया है। अतः केवल बटन की बरामदगी के आधार पर जो एक मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य है अभियुक्त को इस अपराध में संलग्न किया जाना असंभव है, प्रारंभ में मेमोरेंडम कथन और गिरफ्तारी के समय-संबंधी पूर्व विवेचना की गई है उक्त विवेचना में प्रथम सूचना पत्र प्र.पी/31 और मेमोरेंडम कथन जो एक ही समय पर तैयार किये गये थे उन्हें विश्वसनीय नहीं माना गया, क्योंकि पूर्व में ही दर्शायी गयी विसंगतियों के कारण ये दस्तावेज अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं अतः उपरोक्त कारणों से 30-01-1996 को नाले के पास रेत से बटन की बरामदगी भी संदिग्ध प्रतीत होती है, जिन संदिग्ध परिस्थितियों में मेमोरेंडम कथन के

आधार पर शर्ट और पैंट की बरामदगी की गई है, घटना स्थल से बटन की बरामदगी भी संदेहास्पद है यदि मान भी ले शर्ट का बटन घटना स्थल से बरामद हुआ था तब भी केवल इन परिस्थितियों के आधार पर संपूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराध में संलिप्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

18. जहां तक चतुर्थ परिस्थिति का प्रश्न है कि प्र.पी./138 के परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अभियुक्त के नाखून पर पाया गया कोई रक्त, समूह या सीरम विज्ञानी के प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है कि जो खून अभियुक्त के नाखून में पाया गया वह मृतका के रक्त समूह का था, किन्तु केवल इस परिस्थिति के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त आरोपित अपराध में संलिप्त नहीं किया जा सकता है, जहां तक मृतका की योनि से लिये गये स्लाईड में मानव वीर्य पाये जाने का कथन है, सीरम विज्ञानी की प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि वह वीर्य अभियुक्त का था। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने भी कोई प्रतिवेदन नहीं दी है जिसमें यह उल्लेख हो कि मृतका के साथ बलात्कार किये जाने के कोई चिन्ह थे। इस विवेचना के आधार पर भी अभियुक्त को संबंधित अपराध में संलिप्त नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. उपरोक्त विवेचना एवं उल्लेखित स्थापित सिद्धांतों के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त को इस अपराध में संपूर्ण रूप से संलग्न करने में असफल रहा है और यह सिद्ध करने में भी असफल रहा है कि अभियुक्त ही एक मात्र व्यक्ति था जो संबंधित अपराध कारित किये जाने के लिए उत्तरदायी था, अतः विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उपरोक्त अपराध के लिए दोष सिद्धि का निष्कर्ष अंतर्गत धारा 363, 366 क, 376, 302 एवं 201 भा.दं.संहिता में आरोप न्यायोचित रूप से सिद्ध नहीं किया गया क्योंकि यह विधिक रूप से स्थापित परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

20. यह अत्यंत खेदजनक है कि एक किशोरी के साथ बलात्कार करने तथा तत्पश्चात् उसकी नृशंस हत्या करने जैसा जघन्य अपराध केवल अन्वेषण अधिकारी द्वारा समुचित एवं त्रुटिपूर्ण विवेचना किये जाने के कारण अभियुक्त को दण्डित नहीं किया जा सका। इस न्यायालय के समक्ष और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। अपितु अत्यंत पीड़ा के साथ अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को दोषमुक्ति में परिवर्तित करना पड़ रहा है।

21. परिणाम स्वरूप अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील क्रमांक 2521 /1997 स्वीकृत की जाती है। अभियुक्त/अपीलकर्ता के विरूद्ध पारित दोष सिद्धि एवं दण्डादेश के अपास्त किया जाता है अभियुक्त/अपीलकर्ता को यदि किसी अन्य प्रकरण में निरूद्ध या

आवश्यकता न हो तो तत्काल प्रभाव से रिहा किया जावें। परिणाम स्वरूप राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत की गई दाण्डिक अपील क्रमांक 584/1998 विफल होने से उसे खारिज किया जाता है।

सही
एल.सी. भादू
न्यायाधीश
10.02.2006

सही
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश
10.02.2006

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by Adv Nikhat shandan jafri